न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निगरानी 1592-I-15

गोकुल तनय अजुद्वया चमार

निवासी ग्राम घिनौची तह. बडामलहरा जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

1. सुनिया बाई पुत्री पंचा चमार पत्नि धरमदास चमार
   निवासी ग्राम कचारी तह. वक्स्वाहा जिला छतरपुर
2. लच्छीबाई पुत्री पंचा चमार पत्नि फुल्ली चमार
   निवासी ग्राम दमोतीपुरा तह. बिजावर जिला छतरपुर ......अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/5/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा घिनौची स्थित भूमि खसरा क्र 916, 917 रकवा क्रमशः 0.506, 0.291 हे भूमि निगरानीकर्ता की भूमि है जिस पर उसका नाम नामांतरण पंजी क्र 10 में पारित आदेश दिनांक 25/12/1987 के द्वारा दर्ज किया गया था। अनावेदकगण द्वारा करीब 24 वर्ष की लंबी अवधि पश्चात् उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्व एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके साथ उनके द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जिसका निगरानीकर्ता द्वारा विधिवत् जबाव प्रस्तुत किया गया परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विरूद्व तरीके से उक्त आवेदन पत्र को स्वीकार किए जाने का विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1592-एक/2015 जिला छतरपुर

गोकुल विरूद्ध सुनिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 47/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 14-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छरतपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 07/3/19	